समझौता-ज्ञापन

Memorandum of Understanding (MoU)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha (MS)

एवं

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा

Central University of Haryana, Mahendragarh, Haryana

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय) तथा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा (संसद अधिनियम 25 (2009) के तहत स्थापित), जिन्हें इस समझौता-ज्ञापन में आगे क्रमश: म.गां.अं.हि.वि. एवं ह.के.वि. के रूप में उल्लिखित किया जाएगा; शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं अन्य अकादमिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परस्पर सहमति से और सक्षम अधिकारियों के अनुमोदनोपरांत, आज दिनांक 26/05/2023 को इस समझौता-ज्ञापन (MoU) को अधोलिखित प्रावधानों के अधीन स्वीकृत करते हैं--

प्रावधान

1. उद्देश्य : इस समझौता-ज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

i. शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों में परस्पर सहयोग।

ii. दोनों संस्थाओं में उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का अकादमिक प्रयोजनों के लिए सहयोग और सहकार।

iii. दोनों विश्वविद्यालयों में उपलब्ध विषय विशेषज्ञताओं का परस्पर उपयोग।

iv. राष्ट्रीय शिक्षा नीति: 2020 के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का परस्पर आदान-प्रदान और क्रेडिट अंतरण।

v. दोनों विश्वविद्यालयों में मान्य शोध पर्यवेक्षकों से उनकी अर्हता एवं विशेषज्ञता के अनुसार शोध पर्यवेक्षक/सह-शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहयोग।

2. सहयोग के कार्यक्रम

दोनों विश्वविद्यालय अधोलिखित अध्ययन कार्यक्रमों की विभिन्न उपाधियों/शोध उपाधियों के लिए यह समझौता-ज्ञापन स्वीकार करते हैं-

i. हिंदी भाषा
ii. भाषाविज्ञान
iii. भाषा शिक्षण
iv. हिंदी साहित्य
v. अनुवाद अध्ययन
vi. तुलनात्मक साहित्य
vii. लोक साहित्य
viii. सिनेमा अध्ययन

3. समझौता-ज्ञापन का क्रियान्वयन

i. **विद्यार्थियों का अंतरण :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति: 2020 के अंतर्गत संचलित स्नातक, एम.ए. और पी-एच.डी. उपाधियों के कार्यक्रमों/विषयों, जिनका उल्लेख क्रमांक 02 के अंतर्गत किया गया है, में विद्यार्थियों का अंतरण विहित प्रक्रिया से किया जाएगा।

ii. किसी भी कार्यक्रम अथवा पाठ्यचर्या के लिए विद्यार्थियों/शोधार्थियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

iii. छात्रावास की सुविधा उपलब्धता के आधार पर निर्धारित शुल्क के भुगतान के उपरांत ही दी जा सकेगी।

iv. विद्यार्थी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों अथवा पाठ्यचर्याओं का चयन कार्यक्रम/पाठ्यचर्या के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करने पर ही किया जा सकेगा।

v. दोनों संस्थाओं में संयुक्त शोध-निर्देशन में किए गए शोधकार्य पर दोनों संस्थाओं का समान अधिकार होगा और प्रकाशन हेतु दोनों संस्थाओं की सहमति अपेक्षित होगी।

vi. किसी भी कार्यक्रम अथवा पाठ्यचर्या संबंधी अंतरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

vii. समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत होने वाले अंतरण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण दोनों संस्थाओं के संबंधित संकायों के अधिष्ठाता (Dean) करेंगे।

4. समझौता-ज्ञापन की अवधि

i. इस समझौता-ज्ञापन की अवधि ज्ञापन-पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि से पाँच वर्ष होगी। किंतु, इस अवधि में आरंभ हो चुके कार्यक्रमों/पाठ्यचर्याओं को दोनों संस्थाएँ पूरा कराने के लिए उत्तरदायी होंगी।

ii. यह समझौता-ज्ञापन पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर द्विपक्षीय समीक्षा और सहमति से पाँच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

iii. इसी प्रकार समझौता-ज्ञापन को द्विपक्षीय सहमति के आधार पर पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

समस्याओं का समाधान :

ऐसी किसी भी स्थिति/ मामले में, जिसका समझौता-ज्ञापन में उल्लेख नहीं है या जिसका समाधान अन्यथा नहीं हो पाता, के संबंध में दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

हस्ताक्षर :
नाम : **प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल**
पदनाम : **कुलपति**
दिनांक : 26/05/2023
(म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा की ओर से)

T. Kuma 26/5/23
हस्ताक्षर :
नाम : **प्रो. टंकेश्वर कुमार**
पदनाम : **कुलपति**
दिनांक : 26/05/2023
(हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ की ओर से)

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम : प्रीति सागर
पदनाम : प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी साहित्य विभाग
दिनांक : 26/05/2023
(म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा की ओर से)

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम : प्रो. बीर पाल सिंह यादव
पदनाम : प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग
दिनांक : 26/05/2023
(हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ की ओर से)